37–(08)–169–2014

पटना में दिनांक–04 मार्च, 2014 मंगलवार को अपराह्न 05:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिय गये :–

उद्योग विभाग 1. वित्तीय वर्ष 2013–14 में उद्यमिता विकास संस्थान, पटना द्वारा विभिन्न तरह के रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम योजनान्तर्गत राशि 79.10 लाख (उन्नासी लाख दस हजार) सहायक अनुदान की स्वीकृति का प्रस्ताव।	1.	स्वीकृत।
उद्योग विभाग 2. बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2013–14 के अन्तर्गत प्रस्थापना व्यय हेतु कुल ₹1,47,26,428.00 (एक करोड़ सैंतालिस लाख छब्बीस हजार चार सौ अठाईस) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति।	2.	स्वीकृत।
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग 3. गाँधी संग्रहालय–सह–पुस्तकालय, मोतिहारी के विकास एवं संरक्षण के निमित्त गाँधी स्मारक एवं संग्रहालय समिति, मोतिहारी को स्थायी निधि (Corpus Fund) के रूप में ₹ 1,50,00,000/– (एक करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।	3.	स्वीकृत।
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (गव्य विकास) 4. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 3724/2007 में दिनांक–23.09.11 को पारित आदेश के अनुपालन में श्री प्रसाद को दिनांक–30.01.97 के प्रभाव से उच्चतर पद (उप निदेशक) वेतनमान 3000–4500/–तथा दिनांक–14.12.98 के प्रभाव से उच्चतर पद (क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक) वेतनमान 3700–5000/–में कार्यरत अवधि का वित्तीय लाभ की स्वीकृति के संबंध में।	4.	स्वीकृत।
परिवहन विभाग 5. कर प्रमादी ट्रैक्टर एवं अनिबंधित ट्रेलर जो व्यवसायिक कार्य में उपयोग में लाये जाते है, को सर्वक्षमा (Amnesty) देने के संबंध में।	5.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

6. सरकारी/गैर मजरूआ आम भूमि के अंतर्विभागीय, निःशुल्क एवं स्थायी हस्तान्तरण करने की शक्ति का प्रत्यायोजन करने के संबंध में। — 6. स्वीकृत।

वित्त विभाग

7. सचिवालय स्पोर्ट्स क्लब को वित्तीय वर्ष 2013–14 में 10,00,000/– (दस लाख) रूपये सहायक अनुदान की स्वीकृति। — 7. स्वीकृत।

संसदीय कार्य विभाग

8. पंचदश बिहार विधान सभा का द्वादश सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 176वें सत्र के सत्रावसान संलेख पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में। — 8. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

9. डा० सुरेश प्रसाद, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी प्रा० स्वा० केन्द्र, चन्दनपट्टी, सकरा, (मुजफ्फरपुर) को सेवा से बर्खास्त करने संबंधी विभागीय संकल्प सं०–919(9), दिनांक–11.10.2011 को रद्द करते हुए इन्हें सेवा में पुर्नस्थापित करने का प्रस्ताव। — 9. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

10. राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के एनाटोमी विभाग में सह प्राध्यापक (वेतनमान 15600–39100 ग्रेड पे०–7600) के पद पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों को प्राध्यापक (वेतनमान 37400–67000 ग्रेड पे०–8700/–) के पद पर नियमित प्रोन्नति हेतु प्रस्ताव। — 10. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

11. राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के पैथोलॉजी विभाग में सहायक प्राध्यापक (वेतनमान 15600–39100 ग्रेड पे०–6600) के पद पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों को सह प्राध्यापक (वेतनमान 15600–39100 ग्रेड पे०–7600/–) के पद पर नियमित प्रोन्नति हेतु प्रस्ताव। — 11. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

12. सैनिक स्कूल, तिलैया, कोडरमा, झारखंड के शैक्षणिक सत्र 2013–14 में अध्ययनरत बिहार के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति मद में ₹ 9,12,500/–(नौ लाख बारह हजार पांच सौ) रूपये मात्र एवं पोशाक धुलाई मद में ₹ 51,200/–(एकावन हजार दो सौ) रूपये मात्र अर्थात कुल राशि ₹ 9,63,700/–(नौ लाख तिरेसठ हजार सात सौ) रूपये मात्र एवं बिहार राज्य से बाहर स्थित 20 (बीस) सैनिक स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2013–14 में अध्ययनरत बिहार के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति मद में ₹ 89,85,000/–(नवासी लाख पचासी हजार) रूपये मात्र एवं पोशाक धुलाई मद में ₹ 5,05,200/–(पाँच लाख पाँच हजार दो सौ) रूपये मात्र अर्थात ₹ 94,90,200/–(चौरानवें लाख नब्बे हजार दो सौ) रूपये मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में।

12. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

13. वित्तीय वर्ष 2013–14 में गैर योजनान्तर्गत बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी को रू० 55,00,000/–(पचपन लाख रूपये) मात्र अतिरिक्त सहायक अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

13. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

14. ट्रांसफर्ड केश (सिविल) नं०–22/2001 (बृज मोहन लाल बनाम भारत संघ एवं अन्य) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक–19.04.2012 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में असैनिक न्यायाधीश (कनीय वर्ग/वरीय वर्ग) एवं बिहार उच्च न्याय सेवा में कुल 127 पदों का अतिरिक्त पद सृजन।

14. स्वीकृत।

कृषि विभाग

15 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का वर्ष 2013–14 में ₹ 11487.55 लाख (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ₹ 10187.55 लाख, राज्य योजना–₹ 1300 लाख) की लागत पर योजना कार्यान्वयन किसानों को बीज पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में अनुमान्य अनुदान के अतिरिक्त राज्यांश मद से अतिरिक्त अनुदान की स्वीकृति।

15. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

16. सारण (छपरा) जिलान्तर्गत गंडामन ग्राम में स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना एवं तद्संबंधी दो ए०एन०एम० पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

16. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(सिविल विमानन निदेशालय)

17. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत सिविल विमानन निदेशालय में निदेशक, संचालन–सह–मुख्य विमान चालक के स्थाई पद पर श्री दीपक कुमार सिंह की प्रोन्नति के संबंध में। — 17. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

18. मुख्यमंत्री पोषाक योजना/मुख्यमंत्री बालिका पोषाक योजना में वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में क्रमशः रूपये 67,75,00,000 एवं 1,38,95,00,000 अर्थात कुल ₹2,06,70,00,000/– की बचत से ₹1,20,65,46,000/– (एक अरब बीस करोड़ पैसठ लाख छियालीस हजार रूपये) मात्र से राजकीय एवं राजकीयकृत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में उपस्कर (बेंच–डेस्क) की आपूर्ति हेतु स्वीकृति तथा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में ₹10,00,00,000/– (दस करोड़ रूपये) व्यय करने की विमुक्ति की स्वीकृति। — 18. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

19. अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना के लिए गैर योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में स्थापना मद में कुल 1,15,00000/– (एक करोड़ पन्द्रह लाख रू०) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति। — 19. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

20. राज्य के परम्परागत विश्वविद्यालयो में शिक्षकों के रिक्त पदों पर वर्त्तमान में विश्वविद्यालय से प्राप्त रिक्ति के अनुरूप बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति हेतु आयोग को रिक्ति प्रतिवेदित करने एवं विश्वविद्यालयों में उपलब्ध बैक लॉग/कैरी फॉरवर्ड रिक्तियों को राज्य सरकार के आरक्षण नियमों के अनुसार चिन्हित् करने की स्वीकृति के संबंध में। — 20. स्वीकृत।

गृह (आरक्षी) विभाग

21. चौकीदार संवर्ग के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मियों के आश्रितों को नियोजित करने के प्रयोजनार्थ प्रावधान करने हेतु बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली, 2006 में संशोधन। — 21. स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग

22. योजनाओं के त्वरित कार्यान्वियवन हेतु बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 159 'क' मे अतिरिक्त उपकंडिका–(iii) के प्रावधान को सम्मिलित किये जाने के आलोक में योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में दिशा–निर्देश। — 22. स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग

23 पर्यावरण एवं वन विभाग के अन्तर्गत गठित बिहार अवर वन सेवा नियमावली, 2013 के परिशिष्ट 'क' की कंडिका 4 (ii) में सेशोधन के संबंध में। — 23. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

24. वित्तीय वर्ष 2013–14 में उद्यमिता विकास संस्थान बिहार, पटना को रू० 171.00 लाख (एक करोड़ इकहतर लाख) मात्र एक मुश्त सहायक अनुदान की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 24. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

25. वित्तीय वर्ष 2013–14 के अन्तर्गत राज्य में खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार का अंशदान रूपये 3000.00 लाख (तीस करोड़) सहायक अनुदान की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 25. स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

26. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिप्राप्ति कार्य हेतु राज्य योजना अन्तर्गत खरीफ विपणन मौसम 2011–12 एवं रब्बी विपणन मौसम 2012–13 में प्राप्त 400.00 (चार सौ) करोड़ रूपये कार्यशील पूँजी ऋण राशि को बढ़ाकर 800.00 करोड़ रूपये करने के लिए अतिरिक्त 400.00 (चार सौ) करोड़ रूपये राज्य योजना से वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्राप्त करने एवं इसका उपयोग रबी विपणन मौसम 2014–15 से खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2017–18 तक के लिए पूर्व में निर्धारित वार्षिक ब्याज की दर से पैक्सों को उपलब्ध कराने और उक्त राशि को वर्षवार चक्रीय उपयोग करने की स्वीकृति के संबंध में। — 26. स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

27. संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–2015 में राज्य योजना से प्रीमियम अनुदान मद में ₹ 20000.00 लाख (दो अरब) मात्र की स्वीकृति एवं उक्त वित्तीय वर्ष में प्राप्त उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अनुरूप व्यय की स्वीकृति इस शर्त्त के साथ कि राशि की निकासी कर इसे बिहार राज्य फसल बीमा निधि में रखा जायेगा तथा बीमा कंपनियों की मांग पत्र (पूर्व के लंबित मांग पत्रों सहित) के अनुसार राशि विमुक्त की जायेगी। — 27. स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

28. पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य योजना से प्रीमियम अनुदान मद में ₹ 45000.00 लाख (चार अरब पचास करोड़) की स्वीकृति एवं उक्त वित्तीय वर्ष में प्राप्त उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अनुरूप व्यय की स्वीकृति इस शर्त्त के साथ कि राशि की निकासी कर उसे बिहार राज्य फसल बीमा निधि में रखा जायेगा तथा बीमा कंपनियों के मांग पत्र (पूर्व के लंबित मांग पत्रों सहित) के अनुसार राशि विमुक्त की जायेगी।

28. स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

30. बिहार राज्य भंडार निगम में गोदाम निर्माण हेतु भंडार निगम के ऋण लेने की क्षमता में बढ़ोत्तरी करने के लिए भंडार निगम के अधिकृत हिस्सा पूँजी को ₹ 10 करोड़ से बढ़ाते हुए ₹ 100 करोड़ करने, राज्य सरकार द्वारा चुकता पूँजी के रूप में ₹ 46.79 करोड़ राज्य योजना से क्रमशः 2014–15 में 19.50 करोड़ 2015–16 में 15.60 करोड़ एवं 2016–17 में 11.69 करोड़ रूपये भारत सरकार से उनके हिस्सा पूँजी की प्रतिबद्धता प्राप्त करने के पश्चात् उपलब्ध कराने तथा कृषि रोड मैप की अवशेष अवधि अर्थात् वर्ष 2014–15 ,2015–16 तथा 2016–17 में क्रमशः 2.50 लाख एम०टी०, 2.00 लाख एम०टी० एवं 1.50 लाख एम०टी० अर्थात कुल 6 लाख एम०टी० गोदाम निर्माण हेतु लागत क्रमशः ₹ 143.750 करोड़, ₹ 150.5937 करोड़ एवं ₹ 130.0750 करोड़ अर्थात् कुल ₹ 424.4187 करोड़ का 90 प्रतिशत राशि क्रमशः ₹ 129.3750 करोड़, ₹ 135.53433 करोड़ एवं ₹ 117.0675 करोड़ अर्थात कुल ₹ 381.97683 करोड़ नाबार्ड से राज्य सरकार की गारंटी पर ऋण के रूप में भंडार निगम को उपलब्ध कराने, प्राप्त ऋण पर भारित होने वाले सामान्य सूद का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किये जाने, शेष 10 प्रतिशत की राशि अर्थात् क्रमशः ₹ 14.3750 करोड़, ₹ 15.05937 करोड़ एवं ₹ 13.0075 करोड़ अर्थात् कुल ₹ 42.44187 करोड़ राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना से अनुदान के रूप में निगम में निवेश एवं व्यय की स्वीकृति।

30. **स्वीकृत।**

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

31. पटना संग्रहालय, पटना के "शोध एवं प्रकाशन प्रभाग" (अधिगृहीत बिहार रिसर्च सोसाइटी) के सम्यक संगठन एवं संचालन हेतु बिहार रिसर्च सोसाइटी के 06 (छह) पूर्व–कर्मियों की सरकारी सेवा में नियुक्ति की स्वीकृति।

31. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

32. वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्य के मान्यता प्राप्त 33 जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान (डायट), 27 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, 6 अध्यापक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में प्रति संस्थान एक पुस्तकालयाध्यक्ष मासिक परिलब्धि ₹ 11,000.00 की दर से कुल 66 पुस्तकालयाध्यक्ष हेतु ₹ 87.12 लाख (सत्तासी लाख बारह हजार) रूपये की राज्य योजना मद से व्यय भार पर पदों के सृजन की स्वीकृति।

32. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

33. वित्तीय वर्ष 2013–14 में विश्व बैंक द्वारा सम्पोषित अध्यापक शिक्षा परियोजना अन्तर्गत राज्य में अप्रशिक्षित शिक्षकों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दो वर्षीय प्रशिक्षण हेतु 250 केन्द्रों ICT की व्यवस्था हेतु कुल ₹ 5.00 करोड़ (पाँच करोड़) रूपये, 33 डायट, 27 पी०टी०ई०सी० में कम्प्यूटर लैब की व्यवस्था हेतु कुल ₹ 13.41 करोड़ (तेरह करोड़ एकतालीस लाख), 190 प्रखंड संसाधन केन्द्र में कम्प्यूटर लैब की व्यवस्था हेतु कुल ₹ 24.429 करोड़ (चौबीस करोड़ बयालीस लाख नब्बे हजार) रूपये एवं राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् में कम्प्यूटर लैब की व्यवस्था हेतु कुल ₹ 0.3995 करोड़ (उन्चालीस लाख पन्चानवे हजार) रूपये अर्थात् कुल ₹ 43.2385 करोड़ (तेंतालीस करोड़ तेइस लाख पचासी हजार) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इस राशि के व्यय की स्वीकृति।

33. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

34. वित्तीय वर्ष 2013–14 में सर्व शिक्षा अभियान योजना अन्तर्गत स्वीकृत राज्यांश ₹ 2026.74 करोड़ (दो हजार छब्बीस करोड़ चौहत्तर लाख रूपये) में से अवशेष राशि ₹ 822.51 करोड़ (आठ सौ बाईस करोड़ इक्यावन लाख रूपये) के विरूद्ध कुल ₹ 39.03 करोड़ (उनचालीस करोड़ तीन लाख रूपये) निम्नांकित रूप से व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति का प्रस्ताव है :–

(क) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 में स्वीकृत 377 विद्यालयों के अद्यतन दर पर भवन निर्माण हेतु केन्द्र से प्राप्त राशि के अतिरिक्त राज्य योजना मद से ₹ 18.57 करोड़ (अठारह करोड़ सन्तावन लाख रूपये) की व्यय एवं विमुक्ति।

(ख) मध्य विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के कराटे प्रशिक्षण के गतिविधि के संचालन के निमित्त ₹ 8.00 करोड़ (आठ करोड़ रूपये) की व्यय एवं विमुक्ति।

(ग) अप्रशिक्षित शिक्षकों के छः माह के संवर्द्धन कार्यक्रम के संचालन पर हुए ₹ 6.24 करोड़ (छः करोड़ चौबीस लाख रूपये) की व्यय एवं विमुक्ति।

(घ) बिहार–सब–जूनियर स्पोर्ट्स मीट "तरंग" 2014 के आयोजन हेतु ₹ 6.22 करोड़ (छः करोड़ बाईस लाख रूपये) की व्यय एवं विमुक्ति।

34. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

35. राज्य योजना के अन्तर्गत मुख्यमंत्री साक्षरता कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2013–14 में बिहार राज्य के सभी जिलों में स्थित केन्द्रीय कारा/मंडल कारा/मुक्त कारा/उप कारा में संसीमित निरक्षर बंदियों को साक्षरता एवं समतुल्यता कार्यक्रम प्रदान करने हेतु कुल 100.00 लाख (एक करोड़) रूपये सहायक अनुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

35. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

36. नियोजित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के नियत वेतन में एक वर्ष के उपरान्त नियत वेतन में क्रमशः ₹ 300.00 (प्रशिक्षित)/ ₹ 200.00 (अप्रशिक्षित), ₹ 400.00 (प्रशिक्षित)/₹ 300.00 (अप्रशिक्षित) एवं ₹ 300.00 की वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में।

36. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

37. अप्रशिक्षित शिक्षकों का दो वर्षीय प्रशिक्षण (दूर शिक्षा एवं नियमित प्रशिक्षण के माध्यम से) बेहतर रूप से सुनिश्चित करने हेतु विश्व बैंक सम्पोषित परियोजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण सामग्रियों के निर्माण एवं मुद्रण, प्रशिक्षण माड्यूल निर्माण एवं मुद्रण, संसाधन व्यक्तियों एवं अध्यापक शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियों के लिए राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् को ₹ 400.00 लाख (चार करोड़) रूपये उपलब्ध कराने एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

37. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

38. राईस मिल के आधुनिकीकरण की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुमोदित कुल 1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़) रूपये सहायक अनुदान की स्वीकृति का प्रस्ताव।

38. स्वीकृत।

विधि विभाग

39. बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2014 की स्वीकृति।

39. स्वीकृत।

विधि विभाग

40. बिहार विधि सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2014 तथा विधि पदाधिकारियों की सेवा को प्रीमियर सेवा की स्वीकृति के संबंध में।

40. स्वीकृत।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

41. किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखण्ड के नेजागच्छ में 01 युनिट पॉलिटेकनिक कॉलेज भवन का निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्रक्कलित राशि 4336.00 लाख (तेंतालीस करोड़ छत्तीस लाख) रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ ही केन्द्रांश की स्वीकृत राशि 1230.00 लाख (बारह करोड़ तीस लाख) रूपये के अतिरिक्त 3106.00 लाख (एकत्तीस करोड़ छः लाख) रूपये विशेष राज्यांश के रूप में दिये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — 41. स्वीकृत।

वित्त विभाग

42. राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी सेवकों को गृह निर्माण अग्रिम उपलब्ध कराने की वर्त्तमान व्यवस्था के अतिरिक्त गैर सरकारी बैंकों के माध्यम से अग्रिम उपलब्ध कराये जाने के संबंध में। — 42. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

43. ₹ 450.32 करोड़ (चार सौ पचास करोड़ बत्तीस लाख रू०) की लागत पर मॉडल विधायक आवासन भवन परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — 43. स्वीकृत।

कृषि विभाग

44. मंडन भारती कृषि महाविद्यालय, सहरसा को वर्ष 2013–14 में 826.05 लाख रूपये (आठ करोड़ छब्बीस लाख पाँच हजार रूपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति। — 44. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

45. अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को ज्यादा लाभकारी बनाने के उद्देश्य से योजना के प्रावधानों में संशोधन तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 में अन्तर्जातीय विवाह करनेवाली महिलाओं को इस योजना में प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु सहायक अनुदान की राशि कुल 50,00,000/–(पचास लाख) रूपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में। — 45. स्वीकृत।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

46. अव्यवहृत उच्च मूल्य–वर्ग के स्टाम्पों के विनष्टीकरण हेतु बिहार स्टाम्प मैनुअल, 1955 के खण्ड–III के सेक्शन–I में वर्णित स्टाम्प एवं स्टाम्प पेपर्स के संरक्षण, आपूर्ति एवं विक्रय नियमावली के नियम–38 के उप–नियम (3) में संशोधन के संबंध में। — 46. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

47. पथ निर्माण विभाग के अधीन पथ प्रमंडलों एवं पथ अंचलों का पुनर्गठन के संबंध में। — 47. स्वीकृत।

गन्ना उद्योग विभाग

48. राज्य में कृषि आधारित उद्योगों में त्वरित गति से विकास लाने हेतु चीनी तथा गन्ना आधारित उद्योगों की स्थापना एवं विकास हेतु संशोधित प्रोत्साहन पैकेज की स्वीकृति। — 48. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

(बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय)

49. बिहार राज्य अभिलेखागार के अंतर्गत एक अभिलेख सलाहकार, उनके सहायतार्थ कार्य कर रहे एक शोध सहायक, एक कम्प्यूटर लिपिक एवं दो आदेशपाल तथा चार कम्प्यूटर ऑपरेटर के कुल नौ पदों के वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति के संबंध में। — 49. स्वीकृत।

गृह विभाग

(अभियोजन निदेशालय)

50. बिहार अभियोजन सेवा संवर्ग के पूर्व से सृजित प्रमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी एवं समकक्ष पद (वेतनमान PB 4+GP 8700) के कुल 10 (दस) पदों के प्रत्यर्पण तथा विभिन्न कोटि के पदों के पदनामों एवं वेतनमानों में संशोधन करते हुए सहायक अभियोजन पदाधिकारी (वेतनमान PB 2+GP 4800) के कुल 153 (एक सौ तिरपन) पदों, अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी/अपर लोक अभियोजक (वेतनमान PB 3+GP 6600) के कुल 293 (दो सौ तिरानवे) पदों, अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, सेलेक्शन ग्रेड/अपर लोक अभियोजक, सेलेक्शन ग्रेड (वेतनमान PB 3+GP 7600) के कुल 211 (दो सौ ग्यारह) पदों, जिला अभियोजन पदाधिकारी (वेतनमान PB 4+GP 8700) के कुल 38 (अड़तीस) पदों एवं जिला अभियोजन पदाधिकारी के समकक्ष पद उपनिदेशक (विधि), अभियोजन निदेशालय (मुख्यालय), बिहार, पटना के 01 (एक) पद के सृजन के संबंध में। — 50. स्वीकृत।

परिवहन विभाग

51. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, द्वारा एस०एल०पी० वाद संख्या–25237/10 एवं 23984/2010 अभय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारतीय संघ में दिनांक–10.12.2013 को पारित आदेश के आलोक में मोटर वाहनों के ऊपर/आगे लाल/पीली बत्ती फ्लैशर सहित एवं फ्लैशर रहित के प्रयोग हेतु पूर्व में निर्गत अधिसूचनाओं में आवश्यक संशोधन। — 51. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

52. भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (The Right to Fair Compensation and Transparency In Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) की धारा–26(2) एवं प्रथम अनुसूची (First Schedule) में निहित प्रावधानों के आलोक में ग्रामीण क्षेत्रों में अर्जित/अर्जनाधीन भूमि के मुआवजे के लिए मूल्य निर्धारण हेतु गुणक (Multiplier factor) 2 निर्धारण के संबंध में।

52. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

53. भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (The Right to Fair Compensation and Transparency In Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) के अध्याय–II के अनुसार भूमि अधिग्रहण के मामलों में सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए SIA UNIT के रूप में कार्य करने हेतु एल०एन०मिश्रा आर्थिक अध्ययन एवं सामाजिक परिवर्त्तन संस्थान, पटना, ए०एन०सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना, चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना एवं आद्री, पटना को प्राधिकृत किये जाने के संबंध में।

53. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

54. भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (The Right to Fair Compensation and Transparency In Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) की धारा–3(e) के अन्तर्गत जिला समाहर्त्ता को उचित सरकार (Appropriate Government) अधिसूचित किये जाने के संबंध में।

54. स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

55. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में संविदा पर नियोजित पशु चिकित्सकों की नियोजन अवधि एक वर्ष के लिए विस्तार के संबंध में।

55. इस परिवर्त्तन के साथ स्वीकृत कि प्रस्तावित संविदा विस्तार की एक वर्ष की अवधि पूर्व संविदा की समाप्ति की तिथि की अगली तिथि से प्रारंभ होगी।